कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 5315 / 2-6 दिनांक, गोरखपुर, अप्रैल, 21 /2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय : जनपद गोरखपुर में एन0एच0–29 के छूटे शहरी भाग (नौसड चौराहे से बाघागाडा तक) के किमी0 चैनेज 0.000 से 3.250 के 4 लेन में चौडीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने के कार्य में 4.225 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 226 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

संदर्भ : आपका पत्रांक 2545/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/रोड/30203/2017 दिनांक 27.02.2018 तथा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन), लो0नि0वि0, गोरखपुर के पत्रांक 1182/4याता–4लेन दिनांक 13.04.2018

महोदय,

विषयांकित प्रस्ताव में आपके संदर्भित पत्र द्वारा 10 बिन्दुओं पर आपत्ति की गयी है, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन), लो0नि0वि0, गोरखपुर ने अपने संदर्भित पत्र द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है :–

1. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम व उसका मूल्य प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है। आनलाइन भाग–2 में 226 वृक्षों को अपलोड किया गया है किन्तु 0–30 व्यास वाले वृक्षों का हार्ड कापी में प्रदर्शित नहीं कर रहा है।
2. प्रभावित वन भूमि का अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित जियो रिफ्रेन्स डिजिटल मैप एवं के.एम.एल. फाइल शेप की सी.डी. प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।
3. प्रभावित वन भूमि के दूगुने गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण का प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है तथा उसे आनलाइन भाग–2 में लोड कर दिया गया है।
4. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 का रंगीन मानचित्र जिस पर लिजेण्ड अंकित है, को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित किया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण से हस्ताक्षर कराकर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है तथा आनलाइन–भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।
5. प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता एवं प्रस्तावित वन भूमि के एन.पी.वी. में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन.पी.वी. की धनराशि के भुगतान के प्रमाण–पत्र पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है।
6. संशोधित मलवा उत्सर्जन प्रमाण–पत्र पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
7. आनलाइन भाग–1 तथा हार्डकापी के भाग–1 में आनलाइन के अनुसार परियोजना की लागत अंकित कर दी गयी है।
8. आनलाइन भाग–2 के क्रमांक–7 में दिये गये निर्देश के अनुसार शून्य फीड कर दिया गया है।
9. प्रस्तावित वन भूमि संरक्षित वन भूमि है, जिस पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व है। उक्त मार्ग की पटरियां संरक्षित वन की श्रेणी में घोषित हैं। अत्एव उपरोक्तानुसार प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
10. पृष्ठ संख्या–50 पर संलग्न स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण–पत्र सही कर दिया गया है। प्रस्ताव वन भूमि पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व है तथा उसकी पटरियां संरक्षित वन की श्रेणी में घोषित है।

भवदीय,

(एन0के0 जानू)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर

संख्या 5315 –अ/उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन), लो0नि0वि0, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि विषयांकित प्रस्ताव को अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

O/C

(एन0के0 जानू)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर

H:\New Letter 17.doc